

लॉ फील्ड में अपार संभावनाएं कॅरियर को दें नई ऊंचाई

डेली न्यूज नेटवर्क

आजकल युवाओं में लॉ के प्रति जुड़ाव बढ़ता जा रहा है। पिछले कुछ सालों में देखने में आया है कि यूथ के बीच कॅरियर के रूप में लॉ को काफी पसंद किया जा रहा है। 12वीं पास करने के बाद स्टूडेंट्स के सामने लॉ में भी कॅरियर बनाने का विकल्प होता है। चुनौतियों से भरा होने के बावजूद यह पेशा कॅरियर की दृष्टि से एक आकर्षक विकल्प है। कानून से जुड़ी पेचिदगियों और विस्तृत होते समाज के बीच वकीलों की भूमिका बेहद अहम हो गई है। उनका महत्व तब और भी बढ़ जाता है, जब समाज में तेजी से कानूनी प्रक्रियाओं और अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता आ रही हो। लगभग हर दिन कोई न कोई नया आविष्कार या तकनीकी विकास होता है, इस कारण समय-समय पर सरकार को नए कानून बनाने या पूर्व प्रचलित कानूनों में संशोधन करने की जरूरत पड़ती है। परिणामस्वरूप नए कानूनों की जद में आने वालों के लिए पेशेवर कानूनी सलाह लेना जरूरी हो जाता है। इस वजह से भी वकीलों यानी लॉयर की मांग में कई गुना वृद्धि हुई है।

ये होता है काम

कानून के ये पेशेवर अपने क्लाइंट के लिए वकील और सलाहकार (एडवाइजर) की भूमिका निभाते हैं। सिविल या क्रिमिनल मामलों में ये कम्प्लेनेंट या डिफेंडेंट का संबंधित अदालतों में पक्ष रखते हैं। वह अदालत में अपने क्लाइंट की ओर से मुकदमा दायर करते हैं और उसके पक्ष को लेकर बहस भी करते हैं। वह किसी मामले विशेष के लिए कानूनी स्थितियों को स्पष्ट भी करते हैं। एडवाइजर या सॉलिसिटर के रूप में वह अपने क्लाइंट को परामर्श देते हैं कि क्लाइंट के मामले से संबंधित तथ्यों पर कौन-सा कानून किस तरह लागू होगा। अदालत में मामला पहुंचने पर सॉलिसिटर संबंधित मामले की पैरवी करने वाले वकील को जरूरी सलाह भी देते हैं।

आप भी बन सकते हैं वकील

लॉ की पढ़ाई के बाद शुरुआती दौर में किसी वकील के साथ जूनियर असिस्टेंट के रूप में काम करना होता है। इस दौरान फाइलिंग, रिसर्च, अदालतों से तारीख लेना, नियोक्ता वकील के साथ अदालत की कार्यवाही में हिस्सा लेना और केस ड्राफ्ट करना आदि काम करने पड़ते हैं। वकालत से जुड़ी इन बुनियादी चीजों को समझने के बाद स्वतंत्र रूप से वकील के रूप में काम शुरू किया जा सकता है।

कैसे बनें सॉलिसिटर

इसके लिए आर्टिकलशिप या पढ़ाई के दौरान किसी सॉलिसिटर फर्म में जूनियर के रूप में काम किया जा सकता है। यहां भी जूनियर को वकालती पेशे से जुड़े रोजमर्रा के काम जैसे केस को पढ़ना, सूट फाइल करना और नोटिस तैयार करना आदि काम करने होते हैं। इस



ये है कोर्स

- एलएलबी, श्री ईयर ■ बीए एलएलबी (ऑनर्स), फाइव ईयर ■ बीएससी एलएलबी (ऑनर्स), फाइव ईयर ■ बीकॉम एलएलबी (ऑनर्स), फाइव ईयर ■ एलएलएम ■ पीएचडी

देश के टॉप लॉ इंस्टीट्यूट

- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर
- नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, बैंगलूर
- गुजरात नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी
- सिंघायोगिसिस सोसायटीज लॉ कॉलेज, पुणे
- नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जोधपुर
- नल्सर यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ, हैदराबाद
- नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल
- फैकल्टी ऑफ लॉ, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली
- खानरस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
- नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेज, कोलकाता
- अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी
- गुरु गोविंद सिंह इंदूरप्रस्थ यूनिवर्सिटी, दिल्ली

दौरान जूनियर को अपने वरिष्ठों के मार्गदर्शन में तरह-तरह के कानूनों से संबंधित मामलों को समझने का मौका मिलता है। कुछ वर्षों के अनुभव के बाद जूनियर अपने वरिष्ठों के समान ही दक्ष हो जाते हैं। इसके बाद वह किसी भी सॉलिसिटर फर्म में सॉलिसिटर बन सकते हैं।

लॉ में कॅरियर के ढेरों ऑप्शंस

मौजूदा वक्त में लॉ ग्रेजुएट के लिए भरपूर संभावनाएं हैं। वह एडवोकेट के रूप में किसी न्यायालय में प्रैक्टिस करने के अलावा किसी कॉर्पोरेट फर्म के लिए भी काम कर सकते हैं। इसी तरह राज्यों के लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली न्यायिक सेवा परीक्षा को पास

करके जज भी बना सकता है। वकालत का लंबा अनुभव होने पर सॉलिसिटर जनरल या पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने का भी अवसर होता है। इसी अनुभव की बदौलत सरकारी विभागों और मंत्रालयों में भी काम हासिल करना संभव होता है। इतना ही नहीं लॉयर बनकर किसी फर्म या ऑर्गेनाइजेशन में लीगल एडवाइजर या लीगल काउंसिल के रूप में भी काम किया जा सकता है। इसके अलावा उनके पास टैक्स, एक्साइज, पेटेंट, लेबर और इन्वायर्नमेंटल लॉ आदि से संबंधित लीगल कंसल्टेंसी फर्मों में काम करने का भी विकल्प होता है। वह विभिन्न ट्रस्टों के लिए ट्रस्टी के रूप में और प्रिंट या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया संगठनों में लीगल रिपोर्टर के रूप में भी काम कर सकते हैं। लॉ पेशेवरों के पास लॉयर बनने के इतर भी कॅरियर के लिहाज से कई विकल्प होते हैं। वह लॉ कॉलेजों और स्कूलों में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर अध्यापन कर सकते हैं। इतना ही नहीं वह राजनीति में भी उतर सकते हैं, क्योंकि काम के सिलसिले में उनका काफी लोगों से संपर्क रहता है।

श्री ईयर और फाइव ईयर का है ऑप्शन

छात्र अपनी सुविधा के अनुसार लॉ के तीन वर्षीय या पांच वर्षीय बैचलर डिग्री पाठ्यक्रम में से किसी एक को अध्ययन के लिए चुन सकते हैं। तीन वर्षीय पाठ्यक्रम में प्रवेश ग्रेजुएशन के बाद मिलता है, जबकि पांच वर्षीय पाठ्यक्रम में दाखिला बारहवीं के बाद होता है। देश के जिन विश्वविद्यालयों में लॉ का तीन वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध है, वहां संबंधित संस्थान द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा के जरिए दाखिले होते हैं। पांच वर्षीय पाठ्यक्रम की दाखिला प्रक्रिया को देखें, तो देश की 14 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इसके लिए क्लैट (कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट) नाम से प्रवेश परीक्षा का आयोजन करती हैं। इस परीक्षा में 50 फीसदी अंकों के साथ बारहवीं पास हुए छात्र आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा में इंग्लिश, जनरल नॉलेज, मैथमेटिकल एबिलिटी, लीगल एप्टिट्यूड और लॉजिकल रीजनिंग से प्रश्न पूछे जाते हैं। देश के कई अन्य विश्वविद्यालयों में भी लॉ में पांच वर्षीय पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं। दाखिले के लिए ये सभी संस्थान अपने स्तर पर प्रवेश परीक्षाएं आयोजित करते हैं। लॉ में बैचलर डिग्री पाने के बाद एलएलएम और पीएचडी भी किया जा सकता है। इससे शिक्षण के क्षेत्र में जाने में मदद मिलेगी। अगर आप किसी किसी कानून विशेष में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, तो पीजी डिग्री और पीजी डिप्लोमा स्तर पर स्पेशलाइजेशन के लिए कई विकल्प उपलब्ध हैं।

पाठ्यक्रमों का नियमन

देश में एलएलबी पाठ्यक्रमों का नियमन बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) करता है। इसके अलावा देश में वकालत के लिए जरूरी दिशा-निर्देशों और नियमों को तय करने का कार्य भी बीसीआई करता है।